

20.05.2025 वकिल पार्थी उपस्थित। चूंकि मूल्काद का निस्तारण  
हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र आगे चल नहीं  
सकता है। त्रिशाखा आवेदन पत्र को इसी स्टेज पर खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली फैसल नुमांर होकर दाखिल इफ्तार  
हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतख